न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः अन्जु शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 690/2016

उनवान

धारजी पिता श्री वागजी जाति भील निवासी टोरी छोटी तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: वादी

बनाम

(1) कान्तिलाल पिता न्यालचन्द लबाना निवासी टोरी छोटी हसील गढी (बांसवाडा)
(2) गौतम पिता न्यालचन्द लबाना निवासी टोरी छोटी तहसील गढी (बांसवाडा)
(3) दिलीप पिता कान्तिलाल लबाना निवासी टोरी छोटी तहसील गढी (बांसवाडा)
(4) मुकेश पिता कान्तिलाल लबाना निवासी टोरी छोटी तहसील गढी (बांसवाडा)
(5) नारण पिता गौतम लबाना निवासी टोरी छोटी तहसील गढी (बांसवाडा)
(6) हितेश पिता नारण लबाना निवासी टोरी छोटी तहसील गढी (बांसवाडा)
(7) पोपट पिता गौतम लबाना निवासी टोरी छोटी तहसील गढी (बांसवाडा)
(8) शान्तिलाल पिता लाला लबाना निवासी टोरी छोटी तहसील गढी (बांसवाडा)
(9) पंकेश पिता शान्तिलाल लबाना निवास मेरी छोटी तहसील गढी (बांसवाडा)
10) दिनु पिता शान्तिलाल लबाना निवासी टोरी छोटी तहसील गढी (बांसवाडा)
11) मोती पिता माना लबाना निवासी टोरी छोटी तहसील गढी (बांसवाडा)
12) छगन पिता माना लबाना निवासी टोरी छोटी तहसील गढी (बांसवाडा)
13) गोविन्द पिता माना लंबा निवासी टोरी छोटी तहसील गढी (बांसवाडा)
14) विनोद पिता गोविन्द लबाना निवासी टोरी छोटी तहसील गढी (बांसवाडा)
15) प्रवीण पिता गोविन्द लबाना निवासी टोरी छोटी तहसील गढी (बांसवाडा)
16) अभिया पिता मोती लबाना निवासी टोरी छोटी तहसील गडी (बांसवाडा)
17) नरेश पिता मोती लबाना निवासी टोरी छोटी तहसील गढी (बांसवाडा)
18) नटवरलाल पिता मोती लबाना निवासी टोरी छोटी तहसील गढी (बांसवाडा)
19) सुभाष पिता नटवरलाल लबाना निवासी टोरी छोटी तहसील गढी (बांसवाडा)
20) कीडा पिता रूपलाल लबाना निवासी टोरी छोटी तहसील गढी (बांसवाडा)
21) सुरेश पिता मपू लबाना निवासी टोरी छोटी तहसील गढी (बांसवाडा)
22) सरवण पिता सज्जन लबाना निवासी टोरी छोटी तहसील गढी (बांसवाडा)
23) अरविन्द पिता गौतम लबाना निवासी टोरी छोटी तहसील गढी (बांसवाडा)
24) शंकर पिता अमचन्द लबाना निवासी टोरी छोटी तहसील गढी (बांसवाडा)
25) पोपट पिता नन्दराम लबाना निवासी टोरी. छोटी तहसील गढी (बांसवाडा)
26) मुकेश पिता मोहन लबाना निवासी टोरी छोटी तहसील गढी (बांसवाडा)
27) भुरा पितां जगाराम लबाना निवासी टोरी छोटी तहसील गढी (बांसवाडा)
28) नन्दराम पिता गंगाराम लबाना निवासी टोरी छोटी तहसील गढी (बांसवाडा)
29) मोती पत्नी गंगाराम लबाना निवासी टोरी छोटी तहसील गढी (बांसवाडा)
30) गौतम पिता माना लबाना निवासी टोरी छोटी तहसील गढी (बांसवाडा)
31) गरवर पिता हलीया लबाना निवासी टोरी छोटी तहसील गढी (बांसवाडा)

—: प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 R-T- Act-

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.09 11:30:43 IST
Reason: SelfAttested

दिनांकः 03.9.2024

प्रकरण का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के खाते कब्जे काश्त की जमीन जिसका खाता संख्या 60 (नया) 56 (पुराना) का खसरा नम्बर 367/93 रकबा 0.08 हे0 वाके ग्राम टोरी[illegible] पटवार हल्का बस्सीमोटी तहसील गढ़ी में स्थित है। जिसका दिनांक 11/0[illegible]2005 में वादी के नाम आवंटित किया गया है। जिसमें करीब 35 वर्षों से कब्जा चला आ रहा है तथा हाल मे भी उक्त जमीन पर पत्थर डाल रखे है तथा काश्त करता आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 01 लगायात 31 तक जाति लबाना के होकर आज से आठ रोज पूर्व आपराधिक आशय से मां बहन की अश्लील गाली गलोच करते हुए अनाधिकृत रूप से प्रवेष हो गये व मेरी उक्त जमीन पर पडे हुए पत्थरों को ट्रेक्टर से हटाकर मेरे खाते की जमीन मे डाल दिये है व मुझे जातिगत गाली गलोच कर जमीन से बेदखल करने की कोशिश कर रहे है। प्रतिवादीगणों की संख्या अधिक होने से मुझ वादी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

को हैरान परेशान करने आमादा है तथा आये दिन मुझ वादी से लडाई झगडा करते है तथा जमीन में काश्त करने में बाधा उत्पन्न कर रहे है। जिनको मैने पूर्व में पुलिस रिपोर्ट भी कि थी लेकिन प्रतिवादीगण नहीं मान रहे है एवं आये दिन जमीन छोडने की धमकिया देकर जमीन हडपना चाहते है। वादी को इस भूमि का खातेदार घोषित नही किया जाता है तो वादी न्याय से वंचित हो जायेंगा तथा मौके पर बाहुल्यताए बढने की संभावना है एवं इससे वादी को ऐसी क्षति होगी जिसका रूपयो में मुल्यांकन संभव नही है। वादी ने इस पर सीमांकन हेतु आवेदन किया जिस पर पटवारी द्वारा मौके पर निशादेही की जिसमे स्पष्ट हो गया की उक्त भुमि वादी की है परन्तु श्प्रतिवादीगण नही मान रहे और अपना कब्जा हटाने तैयार नही है। जिस वजह से प्रतिवादीगण का कब्जा हटाने यह बाद पत्र अन्तर्गत 183 रा.का.अ. के तहत पेश हुआ।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 28 की ओर से श्री पवन लुहांर अभिभाषक का वकालातनामा पेश होकर दौराने कार्यवाही सभी प्रतिवादीगण की ओर से अपना वकालतनामा पेश होना स्वीकार किया जाकर जवाब प्रस्तुत होने पर निम्नानुसार तनकियात कायम की गईः–

(1) आया वादी के स्वामित्व एंव आधिपत्य की कृषि भूमि खाता संख्या 60 (नई) 56 (पुरानी) के सर्वे नम्बर 367/93 रकबा 0.08 हे0 गांव टोरीछोटी पटवार हल्का बस्सीमोटी में स्थित है। है।

–: वादी

(2) आया उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत होने के 8 रोज पूर्व अश्लील गाली–गलोच करते हुऐ अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर लिया तथा वादी को अपनी खातेदारी भूमि से बेदखल कर दिया। जिसे स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाने एंव वादी की खातेदारी भूमि पर गैरकानूनी रूप से अतिकमण कर कर रहे है जिसे अवैध घोषित कर उन्हे आज्ञपक आदेश बेदखल किया जाना आवश्यक है।

–: वादी

(3) आया वादग्रस्त भूमि पर वादी का कभी कोई काब्जा काश्त नही रहा हैं। पूर्व में भी धारा 188 का वाद पेश हुआ था जिसमें तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार मौके पर वादी का कब्जा नही होने से वाद को खारिज किया गया है। वादग्रस्त भूमि पर पूर्व से ही गांव का कब्जा होकर मन्दीर बना हुआ है। वादी द्वारा फजी तरीके से आवंटन करवाया गया है। वादी स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने एंव बेदखल कराने का पात्र नही है। वादी का वाद निरस्त फरमावें।

–: प्रतिवादीगण

(4) अनुतोषः–

पत्रावली वादी की साक्ष्य के रूप में नियत की जाने पर धारजी पिता वागजी, सुखदेव पिता लेम्बा की साक्ष्य का शपथ–पत्र पेश होकर वाद के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज यथाः आवटंन आदेश प्रदर्श–1, जमाबन्दी प्रदर्श–2, खसरा गिरदावरी प्रदर्श–3 प्रदशित करवाये जाने पर प्रतिवादी अभिभाषक द्वारा जिरह की गई। तत्पश्चात् पत्रावली प्रतिवादी की साक्ष्य में नियत होकर प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत नही होने पा प्रतिवादीकी साक्ष्य बन्दी की जाकर पत्रावली वास्ते बहस नियत की जाने पर बकुलाय द्वारा प्रकरण में तहसीलदार की मौके की रिपोर्ट मंगवाई जाने निवेदन किया गया। तत्पश्चात् प्रकरण में तहसीलदार, अरथूना की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर बकुलाय की बहस सुनी गई।

बहस पर मनन् करने एंव वादी की ओर से प्रस्तुत वाद एंव संलग्न राजस्व अभिलेख, वादी की साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत शपथ–पत्र की जिरह में कहें गये कथन, वादग्रस्त भूमि की तहसीलदार की मौका रिपोर्ट आदि का संक्षिप्त अवलोकन एंव मनन् करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूँचा हैं कि पटवार हल्का सारनपुर के मौजा टोरी छोटी की जमाबन्दी संवत 2069 से 2072 की खाता संख्या 60 (नई) 56 (पुरानी) के सर्वे नम्बर 367/93 रकबा 0.08 हे0 भूमि वादी के नाम गैर खातेदारी में दर्ज होकर मौके पर खेती नहीं हुई है [illegible] वादी की ओर से प्रस्तुत वाद धारा 183 के स्थान पर 188 राजस्थान काश्तकारी अधि[illegible]ना जाकर प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता हैं कि वादी की उक्त [illegible] अनुचित कार्य, अतिक्रमण, निर्माण नही करें एंव न ही किसी अन्य से करवाई ऐसा [illegible] करावे जिससे वादी को व्यवधान पैदा होवे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.09 11:30:43 IST
Reason: SelfAttested

(अन्जु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी

आदेश

पटवार हल्का सारनपुर के मौजा टोरी छोटी की जमाबन्दी संवत 2069 से 2072 की खाता संख्या ,60 (नई) 56 (पुरानी) के सर्वे नम्बर 367/93 रकबा 0.08 हे0 भूमि वादी के नाम गैर खातेदारी में दर्ज होकर मौके पर खाली पड़ी हुई है। इस क्रम में वादी की ओर से प्रस्तुत वाद धारा 183 के स्थान पर 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का माना जाकर प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता हैं कि वादी की उक्त गैर खातेदारी भूमि में किसी प्रकार का अनुचित कार्य, अतिक्रमण, निर्माण नही करें एंव न ही किसी अन्य से कोई ऐसा कृत्य करावें जिससे वादी को व्यवधान पैदा होवे। इस आशय की डिक्री पृथक से जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 03.9.2024 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.09 11:30:43 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : गढ़ी व इजलास : अन्जु शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 690/2016

उनवान

धारजी पिता श्री वागजी जाति भील निवासी टोरी छोटी तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: वादी

बनाम

1) कान्तिलाल पिता न्यालचन्द लबाना निवारी मेरी छोटी हसील गढी (बांसवाडा)
2) गौतम पिता न्यालचन्द लबाना निवारी टोरी छोटी, तहसील गढी (बांसवाडा)
3) दिलीप पिता कान्तिलाल लबाना निवारी टोरी छोटी तहसील गढी (बांसवाडा)
4) मुकेश पिता कान्तिलाल लबाना निवारी टोरी छोटी तहसील गढी (बांसवाडा)
5) नारण पिता गौतम लबाना निवासी टोरी छोटी तहसील गढी (बांसवाडा)
6) हितेश पिता नारण लबाना निवासी टोरी छोटी तहसील गढी (बांसवाडा)
7) पोपट पिता गौतम लबाना निवासी टोरी छोटी तहसील गढी (बांसवाडा)
8) शान्तिलाल पिता लाला लबाना निवासी टोरी छोटी तहसील गढी (बांसवाडा)
9) पंकेश पिता शान्तिलाल लबाना निवास मेरी छोटी तहसील गढी (बांसवाडा)
10) दिनु पिता शान्तिलाल लबाना निवासी टोरी छोटी तहसील गढी (बांसवाडा)
11) मोती पिता माना लबाना निवासी टोरी छोटी तहसील गढी (बांसवाडा)
12) छगन पिता माना लबाना निवासी टोरी छोटी तहसील गढी (बांसवाडा)
13) गोविन्द पिता माना लंबा निवासी टोरी छोटी तहसील गढी (बांसवाडा)
14) विनोद पिता गोविन्द लबाना निवासी टोरी छोटी तहसील गढी (बांसवाडा)
15) प्रवीण पिता गोविन्द लबाना निवासी टोरी छोटी तहसील गढी (बांसवाडा)
16) अभिया पिता मोती लबाना निवासी टोरी छोटी तहसील गडी (बांसवाडा)
17) नरेश पिता मोती लबाना निवासी टोरी छोटी तहसील गढी (बांसवाडा)
18) नटवरलाल पिता मोती लबाना निवासी टोरी छोटी तहसील गढी (बांसवाडा)
19) सुभाष पिता नटवरलाल लबाना निवासी टोरी छोटी तहसील गढी (बांसवाडा)
20) कीड़ा पिता रूपलाल लबाना निवासी टोरी छोटी तहसील गढी (बांसवाडा)
21) सुरेश पिता मपू लबाना निवासी टोरी छोटी तहसील गढी (बांसवाडा)
22) सरवण पिता सज्जन लबाना निवासी टोरी छोटी तहसील गढी (बांसवाडा)
23) अरविन्द पिता गौतम लबाना निवासी टोरी छोटी तहसील गढी (बांसवाडा)
24) शंकर पिता अमचन्द लबाना निवासी टोरी छोटी तहसील गढी (बांसवाडा)
25) पोपट पिता नन्दराम लबाना निवासी टोरी छोटी तहसील गढी (बांसवाडा)
26) मुकेश पिता मोहन लबाना निवासी टोरी छोटी तहसील गढी (बांसवाडा)
27) भुरा पिता जगाराम लबाना निवासी टोरी छोटी तहसील गढी (बांसवाडा)
28) नन्दराम पिता गंगाराम लबाना निवासी टोरी छोठी तहसील गढी (बांसवाडा)
29) मोती पत्नी गंगाराम लबाना निवासी टोरी छोटी तहसील गढी (बांसवाडा)
30) गौतम पिता माना लबाना निवासी टोरी छोटी तहसील गढी (बांसवाडा)
31) गरवर पिता हलीया लबाना निवासी टोरी छोटी तहसील गढी (बांसवाडा)

—: प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 **R-T- Act-**

निर्णय

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.09 11:30:43 IST
Reason: Self Attested

दिनांक: 03.9.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल ... अभिभाषकगण पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं कि पटवार हल्का ... छोटी की जमाबन्दी संवत 2069 से 2072 की खाता संख्या 60 ... नम्बर 367/93 रकबा 0.08 हे0 भूमि वादी के नाम गैर खातेदारी में दर्ज होकर मौके पर खाली पड़ी हुई है। इस कम में वादी की ओर से प्रस्तुत वाद धारा 183 के स्थान पर 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का माना जाकर प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता हैं कि वादी की उक्त गैर खातेदारी भूमि में किसी प्रकार का अनुचित कार्य, अतिकमण, निर्माण नही करें एंव न ही किसी अन्य से कोई ऐसा कृत्य करावें जिससे वादी को व्यवधान पैदा होवे। इस आशय की डिक्री पृथक जारी की जाती है।

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 03.9.2024 को जारी की गई।

(अन्जु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी

मुदई	रूपया पैसा	मुद्दवायलह	रूपया पैसा
स्टांप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	मुतफरीक	शून्य
मुतफरीक	शून्य		
कुल	शून्य	कुल	शून्य

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.09 11:30:43 IST
Reason: SelfAttested